


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर ~~म०प्र०~~ म०प्र०



R. 2876-11/14

चन्द्रमणि प्रसाद तनय बीरभद्र शुक्ला उम्र- 55 वर्ष, निवासी ग्राम क्तभाद्राड

धामा तहसील हुमना जिला-रीवा म०प्र०

===== आवेदक

12/8/14 को
आज दि 3-9-14 को
प्रस्तुत

बनाम

कलकंठ के स्वामिनन्दन प्रसाद तनय भामिकराम ब्रा० उम्र- 70 साल निवासी ग्राम तेडुआ
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
तहसील हुमना जिलारीवा म०प्र०

॥2॥ शासन म०प्र०

===== अनौपचारिक

S.N. Shukla

निरानी बिरुद अदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार
तहसील हुमना जिलारीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक

25ए-3/2013-2014 अदेश दिनांक 12/8/14

निरानी ~~अ~~ अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रट०
संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

निरानी के आधारे निम्नलिखित है:-

यहकि आवेदक द्वारा आधारे न्यायालय में नकशा तर्जिम का आवेदन
पत्र दिनांक- 20/1/2014 को प्रस्तुत किया गया दिनांक- 31/1/14 को राजस्व निरी-
क्षाक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्व निरीक्षाक दिनांक
3/7/14 को मौके पर जाकर सरहददी कार्तकारों को बिछावत सूचना देकर कब्जे के
आधारे पर नकशा तर्जिम की कार्यवाही की व अपना प्रतिवेदन तहसीलदार के यहां
प्रस्तुत किया तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 24अ-3/2013-14 अदेश दिनांक-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(62)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक P-2876/अ/14/रवा

चन्द्र मोहन / रघुवन्दन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

09/01/19

आवेदक की ओर से श्री पु.प. शु. कल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - रवा के प्रकरण क्रमांक - 25/19-3/13-14 में पारित आदेश दिनांक 12-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - रवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला रवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

[Handwritten signature]